(12)

समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

राजस्व अपील प्र0क्र0 I/अपील/जबलपुर/भू.रा/2018/2313

गोपाल प्रसाद कुशराम मृत वारिसान –

1– श्रीमती रेनका बाई उम्र 31 वर्ष
पति स्व0 श्री गोपाल प्रसाद कुशराम

2– दीपक सिंह उम्र 19 वर्ष

3– कु0 अनमोल कुशराम उम्र 9 वर्ष

4– कु0 शिवानी कुशराम उम्र 7 वर्ष

5– करनसिंह गौंड उम्र 9 वर्ष
चारों के पिता स्व0 गोपाल प्रसाद कुशराम (गौंड)
क्रमांक 3 से 5 नाबालिक
द्वारा – वली मां श्रीमती रेनका बाई
सभी निवासीगण ग्राम खुक्खम पोस्ट खुक्ख
थाना कुण्डम तहसील कुण्डम
जिला जबलपुर म0प्र0 ---- अपीलार्थी

श्री .... द्वारा आज दि. 10.4.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 20.4.18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 10.4.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

श्री विष्णुप्रसाद साहू उम्र 52 वर्ष
पिता श्री हजारीलाल साहू
निवासी म. नं. 271, गोहलपुर
जागृतिनगर, अमखेरा जबलपुर म0प्र0 ---- प्रत्यर्थी

10/04/18

अपील अंतर्गत धारा 44 (3) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण क्रमांक 306/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 12.1.18 के विरूद्ध.

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से यह अपील निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

तथ्य

1– यहकि अपीलार्थी क्रमांक 1 के पति एवं 2 ...

गोपाल प्रसाद कुशराम मत वारिसान
श्रीमती रेनका बाई आदि विरूद्ध श्री विष्णुप्रसाद

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/अपील/जबलपुर/भू0रा0/2018/2313

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/05/18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 306/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 12-1-18 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । यह प्रकरण अपीलार्थीगण के पूर्वज मृतक गोपाल प्रसाद कुशराम द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है जिसमें उनके द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम देवरीकलां प0ह0नं0 21 रा0नि0मं0 इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 81 रकबा 1.130 को प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद साहू को विक्रय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा । तहसीलदार ने जांच कर अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रेषित किया गया। तदुपरांत कलेक्टर ने आदेश दिनांक 31-10-17 द्वारा अपीलार्थीगण के पूर्वज मृतक गोपाल प्रसाद का भूमि विक्रय	

-3-

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध मृतक गोपालप्रसाद द्वारा प्रस्तुत अपील अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 12-1-2018 द्वारा निरस्त की । उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने यह अपील प्रस्तुत की है । अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि कलेक्टर ने मुख्य रूप से अंतरण को बेनामी अंतरण मानते हुए आवेदन निरस्त किया है । इस संबंध में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि कलेक्टर का निष्कर्ष बिना किसी आधार के है । आवेदकों के पूर्वज द्वारा भूमि निवास स्थान से दूर होने, कम उपजाउ होने आदि के कारण तथा शेष बची जमीन को उपजाउ बनाने के लिए दिया था और प्रस्तावित क्रेता से अनुबंध भी कर लिया था तथा अनुबंध पेटे चैक से राशि भी प्राप्त करली थी । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि उनके पूर्वज की मृत्यु हो गई है ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी से लिए गए एडवांस राशि की स्थिति में नहीं हैं । ऐसी स्थिती में अपीलार्थीगण को उनके पूर्वज द्वारा आवेदित भूमि के विक्रय की अनुमति दी जाये। यह भी कहा गया कि अपीलार्थीगण के पास आवेदित भूमि के अतिरिक्त 5.770 हैक्टर भूमि शेष बच रही है, जो उनके जीवनयापन के लिए पर्याप्त है । 3/ अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेशों का अवलोकन किया । प्रकरण में जो तथ्य आए हैं उनको देखते हुए यह पाया जाता है कि अपीलार्थीगण को उनके पूर्वज मृतक गोपालप्रसाद कुशराम द्वारा प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन में उल्लिखित भूमि के विक्रय की अनुमति अपीलार्थीगण को दिए जाने में कोई वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है। विक्रय हेतु आवेदित भूमि विक्रय हेतु आवेदित	

- 4 -

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/अपील/जबलपुर/भू0रा0/2018/02313

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	भूमि शासकीय पद्‌टे की नहीं है इसके अतिरिक्त अपीलार्थीगण के पास 5.770 हैक्टर भूमि विभिन्न ग्रामों में शेष बच रही है जो उनके जीवन-यापन के लिए पर्याप्त है । अत: प्रकरण की समग्र स्थिति पर विचार के पश्चात अधीनस्थ दोनों न्यायालयों द्‌वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए अपीलार्थीगण को उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम देवरीकलां प0ह0नं0 21 रा0नि0मं0 इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 81 रकबा 1.130 को प्रत्यर्थी विष्णुप्रसाद साहू को विक्रय किए जाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि क्रेता द्‌वारा वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से भूमि का मूल्य अदा किया जायेगा । उप पंजीयक को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि क्रेता द्‌वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंकर चेक/बैंक ड्राफट/नेट बैंकिंग से अपीलार्थीगण के खाते में जमा की जायेगी । परिणामत: यह अपील स्वीकार की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम. गोपाल रेड्डी) प्रशा0 सदस्य	